

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- 3727

दिनांक:-

ई निविदा सूचना

U. B. No. DLB2223GSOB27098

नगर निगम जोधपुर दक्षिण में विभिन्न उत्सव/मेले/त्यौहार व नगर निगम के अन्य कार्यों हेतु आवश्यक पीने के पानी के टैंकर की आपूर्ति हेतु दो वर्ष के लिए रजिस्टर्ड फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

दिनांक:- 02/02/2023

क्रमांक:- 3728 to 3738

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 3 उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 4 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 5 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs , www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
- 8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावे।
- 9 सहायक अभियंता (यात्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावे।
- 10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

2

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- 3727

दिनांक :- 2/02/23

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म से निर्धारित प्रपत्र में निम्न कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
निविदा फार्म मिलना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	03/02/2023	04.00 pm
निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	03/02/2023	05.00 pm
निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	13/02/2023	03.00 pm
निविदा शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज शाखा नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	13/02/2023	03.30 pm
निविदा खोलने की दिनांक व समय	13/02/2023	04.00 pm

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण में पीने के पानी के टैंकर की आपूर्ति हेतु दो वर्ष के लिए निविदा	10.00 लाख	20000/-	500/-	500/-	2 वर्ष

- निविदा की प्रक्रिया ऑन लाइन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।
- निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।



क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	20000 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	500 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण




कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

दिनांक:-

क्रमांक:-

कार्य का नाम:- नगर निगम जोधपुर दक्षिण में विभिन्न उत्सव/मेले/त्यौहार व नगर निगम जोधपुर के अन्य कार्यों हेतु आवश्यकता एवं मांग अनुसार पीने के पानी के टैंकर की आपूर्ति हेतु दो वर्ष के लिए निविदा कार्य।

टिप्पणी:- निविदादाताओं को निविदा की निम्नलिखित सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं प्रेषित करते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदा प्रस्तुत करना :-

1. निविदा द्वि-स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनीकी बिड होगी जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :-

“आयुक्त”

नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, गौरव पथ, जोधपुर।
फोन नं.- 02912651464

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैंक्स, ई-मेल, फोन नम्बर अंकित करें):-

.....
.....

2. संवेदक की पात्रता एवं निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे :-

1. निविदा शुल्क, धरोहर राशि हेतु डी. डी/बैंकर चैक की प्रति।
 2. निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है।
 3. PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
 4. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की प्रति।
 5. निविदादाता द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की प्रति।
- किसी भी तरह का Joint Venture स्वीकार्य नहीं होगा। संवेदक इस कार्य को अथवा इस कार्य के किसी भाग को अन्य संवेदक/फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।



निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं होने से सम्बन्धित शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में प्रस्तुत करना होगा।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त दस्तावेज बिड के साथ प्रस्तुत नहीं करने या प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर स्पस्टीकरण हेतु निविदा समिति निविदादाता से दस्तावेज मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदादाता के द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. सामान्य शर्तें :-

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
4. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम-शर्तों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होगी।
5. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहृत नहीं कर सकेगा।
6. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण के सम्बन्ध में जानकारी निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
7. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. नगर निगम जोधपुर एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होंगे। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्ध रूपान्तरण हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में करके प्रस्तुत करने होंगे। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव INR में ही प्रस्तुत करने होंगे।
9. निविदा की अवधि दो वर्ष की होगी।
10. कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियाँ होने पर किसी भी समय नगर निगम जोधपुर निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को निविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
11. कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
12. नगर निगम जोधपुर के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी :-
(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।

आलोक

- (ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर.
"Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
- (ग) नगर निगम जोधपुर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
- (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
- (ङ) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
- 13 सफल निविदादाता को 7 दिवस में अनुबंध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।
- 14 यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
- 15 सफल निविदा की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जायेगा।
- 16 विभाग द्वारा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जाएगा।
- 17 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।
- 18 **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):**— प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।
- (क) जब निविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
- (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 19 **निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी**
- (1) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।
- (2) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
- (3) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (4) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 20 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि—
- (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
- (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
- (3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
- 21 समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज / शुद्धिपत्र / संशोधन SPPP पोर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर जोधपुर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
- 22 निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि निविदादाता द्वारा नगर निगम जोधपुर दक्षिण के गैरेज शाखा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
- 23 इस निविदा में एक फर्म एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगी।
- 24 नगर निगम जोधपुर निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 25 न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।

आज्ञा

- 26 सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की समयावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम जोधपुर में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी जो कि संवेदक द्वारा नगर निगम जोधपुर दक्षिण के गैरेज शाखा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
- 27 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।
- 28 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
- 29 समस्त शर्तों की पालना में मतभेद होने पर आयुक्त द्वारा निर्णय किया जायेगा।
- 30 किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

5. कार्य से सम्बन्धित निविदा शर्तें:-

1. आपूर्ति किये जाने वाला पानी स्वच्छ प्रदूषण रहित मीठा एवं पीने योग्य होना आवश्यक है।
2. पानी के टैंकर की क्षमता 4000 हजार लीटर या अधिक होनी चाहिए। भौगोलिक परिक्रमा एवं अन्य उत्सव/मेलों व निगम के अन्य कार्यों में आयुक्त/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार पीने योग्य पानी के टैंकर की आपूर्ति करनी होगी। आवश्यक होने पर वर्ष के किसी भी दिन नगर निगम सीमा में किसी भी स्थान पर कार्य हेतु आदेशित किया जा सकता है जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा।
3. पानी पीने हेतु टैंकर में न्यूनतम चार टूटिया होनी आवश्यक है।
4. 8/12/24 घण्टे हेतु पानी के टैंकर की आवश्यकता होने पर पूर्ण समय के लिए टैंकर में पानी होना आवश्यक है चाहे टैंकर को कितनी भी बार भरना पड़े।
5. टैंकर ट्रेक्टर द्वारा संचालित होना चाहिए। वाहन चालक अनुभवी एवं सम्बन्धित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी होना चाहिये। ड्यूटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होंगे। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा रु 500/- प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काट ली जायेगी। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।
6. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।
7. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 15 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 15 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ती काटी जावेगी।
8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वाहन चालकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. पानी परिवहन के दौरान/कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना/क्षति/मानवीय क्षति के लिए निगम की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी एवं किसी प्रकार का मुआवजा या क्षतिपूर्ति राशि निगम द्वारा देय नहीं होगी।

आज्ञा

12. दरें डीजल, ट्रेक्टर, ऑयल, ड्राईवर, लेबर सहित देनी होगी।
13. प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेशित करने पर संवेदक को पानी के टैंकर की व्यवस्था करनी होगी। संवेदक द्वारा निर्देशित संख्या से कम संख्या में टैंकर उपलब्ध कराने पर 1000/- रुपये प्रति टैंकर प्रतिदिन की शास्ती लगाई जायेगी तथा संवेदक की रिस्क व कोस्ट पर नगर निगम जोधपुर बाजार से कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये समय में पानी के टैंकर की सप्लाई न करने की दशा में नगर निगम जोधपुर द्वारा बिना कोई नोटिस दिये, सप्लायर की जोखिम एवं लागत पर पानी के टैंकर की सप्लाई की जायेगी तथा संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई संवेदक द्वारा की जायेगी।
14. इस निविदा में अंकित कार्य पूर्ण रूप से कान्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। फर्म द्वारा इस कार्य के लिये लगाये गये समस्त चालकों/श्रमिकों का समस्त उत्तरदायित्व फर्म स्वयं का होगा। किसी भी स्थिति में इन चालकों/श्रमिकों की सेवा व कार्य सम्बन्धी मामले में विवाद पर नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा। निविदादाता/वाहन चालक/श्रमिक नगर निगम में नियमित रोजगार के लिये क्लेम नहीं कर सकेंगे।

6 निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

- 1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।


आयुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है। अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर वितीय प्रस्ताव में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

परिशिष्ट 'अ'

वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	दर (सभी करों सहित)
1.	भौगोशैली परिक्रमा के लिए	8 घण्टे की दर (अंकों में) (शब्दों में) 12 घण्टे की दर (अंकों में) (शब्दों में) 24 घण्टे की दर (अंकों में) (शब्दों में)
2.	अन्य कार्यों के लिए	8 घण्टे की दर (अंकों में) (शब्दों में) 12 घण्टे की दर (अंकों में) (शब्दों में) 24 घण्टे की दर (अंकों में) (शब्दों में)
3.	अन्य कार्यों के लिए एक टैकर आपूर्ति दर	(अंकों में) (शब्दों में)
4	कुल राशि	

1. दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होंगे।
2. न्यूनतम दर दाता का निर्धारण उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 4 में कुल राशि के न्यूनतम के आधार पर किया जायेगा।

निविदादाता हस्ताक्षर

नाम मय मोहर

92

अली

Vee

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

परिशिष्ट - 'ब'

-:: अण्डर-टेकिंग ::-

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैधता 120 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं है।

दिनांक :

निविदादाता का नाम व
हस्ताक्षर मय सील

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to [Enter designation and address of the procuring entity] for procurement of [Insert name of the Works] in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a circular stamp with a signature inside. To its right is another circular stamp with the text '31/12/19' and a signature. Below these, there is a long, sweeping signature that spans across the bottom of the page.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022 <i>Pausa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.
 (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

- in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and
- in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
 Joint Secretary to the Government.

1936

Government Central Press, Jaipur.




Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.
We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : _____

Name : _____

In the capacity of : _____

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on _____ day of _____

Corporate Seal _____

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



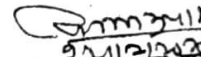
क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी - एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

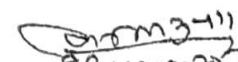
चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।


23/12/2020
संयुक्त शासन सचिव